# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

## रसद प्रार्थना पत्र संख्या 66/2018

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर । .....**प्रार्थी**

**बनाम**

श्री सैनी टी स्टॉल, दिलवाडा बाईपास, रामसर चौराहा, एन.एच. 79, अजमेर जरिये श्री योगेश माली पुत्र श्री ओमप्रकाश, ग्राम पं. देराठू, नसीराबाद, जिला–अजमेर .....**अप्रार्थी**

## प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

**उपस्थितः** श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

***आदेश***

**दिनांक 21.08.2018**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) कें निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय करते पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

| S.NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS | TYPE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433668 | HP | 15.5 | 19.2 | 3.7 | Domestic |

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्ड़र को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मलका गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री फिरोज खान पुत्र श्री अमीन अहमद खान, निवासी–राजनारायण रोड,. नसीराबाद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर तथा भट्टी मय रबर पाइप को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

**जिला कलक्टर**
**अजमेर**

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर तथा भट्टी मय रबर पाइप को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि वक्त निरीक्षण उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिलिंग कराने हेतु ऐजेन्सी से सीधे ही दुकान पर लाया था, जिसे रात को घरेलू आवश्यकता हेतु घर ले जाना था। अप्रार्थी द्वारा अपनी होटल पर हमेशा व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया हैं। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर तथा भट्टी मय रबर पाइप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर